

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या: अद्वारह-233-2022 (एसआई लिपिक) दिनांक: लखनऊ: नवम्बर 25, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(24)-2022 दिनांक 21.11.2022 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 27 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 27 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में 31.10.2022 तक पुलिस निरीक्षक(लिपिक) की 22 रिक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 05 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक लिपिक की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 22 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	1	872412938	श्री इनाम उल्ला	स्व0 इनायत उल्ला	21-07-1965	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2022
2	2	870020027	श्री राज आनन्द श्रीवास्तव	बृजवासी लाल	24-06-1963	रायबरेली	2022
3	3	870510425	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	श्री राम दुलार यादव	05-02-1963	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2022
4	4	870450312	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	स्व0 भगवान प्रसाद गुप्ता	31-01-1964	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2022
5	5	880790060	श्री सतीश कुमार यादव	श्री रामशरण यादव	10-07-1966	मैनपुरी	2022
6	9	900790067	श्री अरुण कुमार मौर्य	स्व. राम अधार मौर्य	06-04-1970	ललितपुर	2022
7	10	900600632	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	स्व0 केशरी प्रसाद श्रीवास्तव	01-01-1968	रेडियो मुख्यालय लखनऊ	2022
8	11	902028270	विभुरंजन शर्मा	स्व. दुर्गा दत्त शर्मा	03-01-1969	मण्डलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर	2022
9	12	900470239	श्री अशोक कुमार मिश्र	स्व. श्रीपाल मिश्र	17-03-1967	गाजियाबाद	2022
10	13	900820672	श्री दिनेश चन्द्र वर्मा	स्व0 रामस्वरूप वर्मा	09-08-1971	सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ	2022
11	14	912690014	श्री राम तारक	स्व0 दुखन्तु राम	02-02-1970	जौनपुर	2022
12	15	912920175	श्री विजय प्रताप सिंह	स्व. राज बहादुर सिंह	12-02-1971	वाराणसी	2022
13	16	912690580	श्री संतजी सिंह	स्व0 नन्दजी सिंह	14-07-1972	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2022
14	18	910530374	ममता राय	स्व. सिंहासन राय	25-05-1971	पी0एम0टी0 कार्यालय वाराणसी	2022
15	19	910800019	श्रीमती नफीस अख्तर	स्व. अब्दुल हमीद	12-09-1971	ई0ओ0डब्लू0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ	2022
16	22	911022838	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	स्व. दया शकर द्विवेदी	12-10-1969	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0	2022
17	23	912662899	श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी	स्व. प्रमोद कुमार तिवारी	05-01-1971	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0	2022
18	24	910820196	सविता रावत	स्व0 मदन सिंह रावत	01-06-1972	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2022
19	25	912110561	श्री सुहैल अहमद	श्री खलील अहमद	21-03-1964	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2022
20	26	910820242	श्री सुरेश कुमार	श्री राम नाथ	13-07-1967	पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) कानपुर	2022

21	27	910820255	श्री विनोद कुमार राय	स्व० श्री नारायण राय	12-10-1963	अभिसूचना मुख्यालय	2022
22	28	910820271	श्री बक्शी संजीव कुमार सिन्हा	श्री बक्शी सिद्धनाथ सिन्हा	01-10-1966	अभिसूचना मुख्यालय	2022

2— पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिवेश काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (थथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21 /89— का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-


- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)


 (संजय सिंघल)
 अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1—अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ / उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय / सुरक्षा विभाग उ०प्र० / ई०ओ०डब्ल०० लखनऊ / अभिसूचना मुख्यालय /
- 3—अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक के जी०ए०ओ० मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।
- 4—अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ।
- 5—पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
- 6—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 7—समरत परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 8—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद-रायबरेली / मैनपुरी / ललितपुर / गाजियाबाद / जौनपुर /
- 9—मण्डलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर।
- 10—राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, वाराणसी।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम / पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद / इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा -----थाना-----

जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम / पदनाम / पीएनओ
नियुक्ति स्थान—
दिनांक:—

प्रमाणित

जनपद / इकाई के प्रभारी

नाम / पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।